<u>न्यायालय : विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन0आई0 एक्ट प्रकरण, क्रम 05, जयपुर महानगर, द्वितीय</u>

पीठासीन अधिकारी	:	तेजकिरन कौर चावला, आर.जे.एस.
नियमित फौज. प्रकरण सं.	:	256/2022
सी.आई.एस. नम्बर	:	102383/2020

मैसर्स अग्रवाल फुटवियर इण्डस्ट्रीज पार्टनर प्रवीण कुमार पुत्र स्व0 श्री महावीर प्रसाद बंका, पता– एफ–100, सरणा डूंगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, एक्सचेन्ज झोटवाड़ा, जयपुर, राज.

. . . . परिवादी

बनाम

1. मैसर्स सुमित एन्टरप्राईजेज, पता– एस– 69, शांति नगर, नियर एन.बी.सी. फैक्ट्री, नियर लेबर कोर्ट, खातीपुरा रोड, जयपुर
2. सुशील टिबडेवाल पुत्र श्री सीताराम टिबडेवाल, प्रोपराईटर मैसर्स सुमित एन्टरप्राईजेज, पता एस–69, शांति नगर, नियर एन. बी. सी. फैक्ट्री, नियर लेबर कोर्ट, खातीपुरा रोड, जयपुर।

. . . . अभियुक्त

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 190 जाप्ता फौजदारी जुर्म धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881</u>

उपस्थित :–

1. श्री सनातन सोनी विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर
2. श्री लोकेश शर्मा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर

<u>–: निर्णय :–</u> **दिनांक – 19-07-2024**

1 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्टेण्डिग आदेश क्रमांक एस.ओ. 07/एस.ओ.2020/ दिनांक 27.4.2020 की अनुपालना में प्रकरण के पक्षकार परिवादी व अभियुक्त की जाति का अंकन नहीं किया जा रहा है।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी फर्म व अभियुक्त के मध्य अच्छी आपसी जान पहचान व व्यापारिक संबंध होने से अभियुक्त ने परिवादी की फर्म मैसर्स अग्रवाल फुटवियर से माल जरिये बिलों से क्रय किया। जिसके भुगतान पेटे अभियुक्त संख्या 2 ने अपने बैंक यूको बैंक, शाखा एन.ई.आई., खातीपुरा रोड, जयुपर, राज. का चैक संख्या 100007 दिनांकित 05.11.2017 राशि 6,15,437/– रुपये अभियुक्त ने अपनी फर्म सुमित एन्टरप्राईजेज के बहैसियत प्रोपराईटर की हैसियत से अपने स्वयं के हस्ताक्षर करके भुगतान हेतु परिवादी की फर्म के नाम से दिया था तथा उक्त चैक का भुगतान होने का पूरा पूरा आश्वासन भी दिया था। अभियुक्त संख्या 2 के आश्वासन पर परिवादी ने

अभियुक्त की ओर से दिये गये उक्त चैक संख्या 100007 दिनांकित 05.11.2017 राशि 6,15,437/— रुपये को अपनी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सरणा डूंगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर में दिनांक 05.11.2017 को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, जिसको परिवादी की बैंक ने क्लियरेंस हेतु अभियुक्त की बैंक में भेजा, परन्तु अभियुक्त की बैंक द्वारा उक्त चैक को बिना भुगतान किये ही दिनांक 07.11.2017 को "फण्डस इनसफिशियेन्ट" के रिमार्क के साथ अनादरित कर परिवादी की बैंक में लौटा दिया गया। उक्त चैक के डिसऑनर होने के पश्चात परिवादी ने अभियुक्त से जरिए दूरभाष सम्पर्क पर उक्त चैक के अनादरित होने बाबत कहा एवं चैक की राशि की मांग जरिए विधिक नोटिस मांग की गयी जिस पर अभियुक्त द्वारा चुकती हिसाब करते हुये भुगतान पेटे अभियुक्त संख्या 2 ने अपने बैंक खाते का नया चैक संख्या 100008 दिनांकित 13.12.2017, राशि 6,00,437, बैंक यूको बैंक, शाखा एन.ई.आई., खातीपुरा रोड, जयुपर, राज. का अपनी फर्म सुमित एन्टरप्राईजेज के बहैसियत प्रोपराईटर की हैसियत से अपने स्वयं के हस्ताक्षर करके भुगतान हेतु परिवादी की फर्म के नाम से दिया था तथा उक्त चैक का भुगतान होने का पूरा पूरा आश्वासन भी दिया था। अभियुक्त संख्या 2 के आश्वासन पर परिवादी ने अभियुक्त की ओर से दिये गये उक्त चैक संख्या 100008 दिनांकित 13.12.2017 राशि 6,00,437/— रुपये को अपनी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सरणा डूंगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर में दिनांक 13.12.2017 को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, जिसको परिवादी की बैंक ने क्लियरेंस हेतु अभियुक्त की बैंक में भेजा, परन्तु अभियुक्त की बैंक द्वारा उक्त चैक को बिना भुगतान किये ही दिनांक 14.12.2017 को "फण्डस इनसफिशियेन्ट" के रिमार्क के साथ अनादरित कर परिवादी की बैंक में लौटा दिया गया। इस पर परिवादी ने अभियुक्तगण को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 03.01.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक भिजवाया। इस प्रकार अभियुक्त ने नोटिस की सूचना के बावजूद भी उक्त चैक राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया। जिस पर परिवादी ने विहित अवधि में हस्तगत परिवाद न्यायालय में दिनांक 24.01.2018 को प्रस्तुत किया। परिवाद प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा जॉच की गयी तथा बाद जॉच अभियुक्त सुशील टिबडेवाल वाल पुत्र श्री सीताराम टिबडेवाल, प्रोपराईटर मैसर्स सुमित एन्टरप्राईजेज, के विरूद्ध दिनांक 30.05.2018 को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध प्रथम दृष्ट्या बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण फौजदारी नंबरी के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया।

3 दिनांक 01.07.2019 को अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया समझाया गया अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4 परिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न साक्षी परीक्षित करवाये गये–

पी0डब्ल्यू01	-	प्रवीण कुमार

तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गयाः–

प्रदर्श पी–01	-	असल चैक संख्या 100008
प्रदर्श पी–02	-	असल रिटर्न मीमो दिनांकित 14.12.2017
प्रदर्श पी–03	-	विधिक नोटिस दिनांकित 03.01.2018
प्रदर्श पी–04 व 05	-	नोटिस रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 03.01.2018
प्रदर्श पी–06 व 07	-	नोटिस की पावती रसीद
प्रदर्श पी–08	-	परिवादी फर्म का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन
प्रदर्श पी– 08 ए	-	परिवादी फर्म का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी

5 साक्ष्य परिवादी समाप्त होने पर अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया। अभियुक्त ने गवाह के कथनों को गलत होना बताते हुए कथन किया कि मैंने परिवादी को सिक्योरिटी पेटे चैक दिया था जिसका दुरुपयोग किया गया है।

6 अभियुक्त की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न साक्षी परीक्षित करवाये गये–

डी0डब्ल्यू01	-	सुशील टिबडेवाल

अभियुक्त सुशील टिबडेवाल की ओर दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया :

प्रदर्श डी–01	-	परिवाद पत्र
प्रदर्श डी–01	-	चैक संख्या 100001–100005 का ईश्यू लेटर
प्रदर्श डी–02	-	परिवादी का शपथ पत्र
प्रदर्श डी–02 पेज संख्या 1 लगायत 11	-	अप्रैल 2011 से 30 मार्च, 2018 तक का बैंक स्टेटमेंट

प्रदर्श डी–03 की बुक 1 लगायत 5	-	चैक बुक की काउंटर स्लिप की बुक
प्रदर्श डी–04	-	रजिस्टर्ड नोटिस दिनांकित 14.11.2017
प्रदर्श डी–05 व 06	-	रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 14.11.2017
प्रदर्श डी–07	-	ए.डी रसीद
प्रदर्श डी–08	-	एस.बी.आई बैंक की जमापर्ची

7 उभयपक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

1– क्या अभियुक्त ने परिवादी से लिये गए विधिक ऋण व दायित्व के भुगतान पेटे विवादित चैक 100008 प्रदर्श पी 1 परिवादी को दिया जो परिवादी द्वारा अपने बैंक में भुगतान प्राप्ति हेतु चैक की वैधता अवधि के दौरान प्रस्तुत करने पर अभियुक्त की बैंक द्वारा दिनांक 14.12.2017 को "Funds Insufficient" के पृष्ठांकन से अनादरित होकर लौटे, जिस पर चैक अनादरण की सूचना देने व चैक राशि की मांग करने हेतु परिवादी द्वारा नोटिस दिनांक 03.01.2018 को अभियुक्त को प्रषित करवाया जो अभियुक्त को प्राप्त होने के बावजूद भी अन्दर मियाद 15 दिवस के चैक राशि का भुतान परिवादी को नहीं करने पर परिवादी द्वारा परिवाद हेतुक उत्पन्न होने से एक माह की अवधि के भीतर परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?

2– यदि हॉं, तो अभियुक्त को किस दण्ड से दंडित किया जाये ?

8 उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता परिवादी की यह बहस रही है कि अभियुक्त व परिवादी के मध्य जानपहचानप व व्यापारिक संबंध होने से अभियुक्त ने परिवादी फर्म से माल जरिए बिलों से क्रय किया था। जिसके भुगतान पेटे अभियुक्त ने परिवादी को चैक संख्या 100008 दिनांकित 13.12.2017 राशि 6,00,437 रुपये का यूको बैंक शाखा एन.ई.आई, खातीपुरा रोड, जयपुर का अपनी फर्म सुमित एन्टरप्राईजेज के प्रोपराईटर की हैसियत से अपने हस्ताक्षर करके दिया था जिसे परिवादी ने अपने बैंक परिवादी ने अपने फर्म के बैंक भारतीय स्टेट ऑफ इण्डिया, शाखा सरना, डूंगर, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर में भुगतान हेतु दिनांक 13.12.2017 को प्रस्तुत किया, जो "Funds Insufficient" के रिमार्क के साथ अनादरित हुए। जिसकी सूचना परिवादी को होने पर अभियुक्त को विधिक नोटिस जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाई गई। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी 15 दिवस के भीतर अभियुक्त ने चैक राशि का भुगतान नहीं

किया है। परिवादी की ओर से दिनांक 24.01.2018 को परिवाद न्यायालय में विहित समयावधि के भीतर पेश किया गया है। परिवादी ने धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के पूर्णरूप से पालना की है तथा परिवादी पी.ड.1 प्रवीण कुमार के मौखिक कथन तथा दस्तावेजी साक्ष्य से परिवाद में अंकित तथ्यों की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। उनका यह भी तर्क रहा है कि परिवादी ने चैक अनादरण के संबंध में नोटिस अभियुक्त को भिजवाया था, जिसकी अभिप्राप्ति साक्ष्य में पेश की गयी है। जिसका उसकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। अभियुक्त ने तथाकथित चैक पर अपने हस्ताक्षरों से किसी भी स्तर पर इन्कार नहीं किया है। अतः परिवादी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अन्त में अधिवक्ता परिवादी ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर परिवादी को चैक राशि की दोगुनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाये जाने का निवेदन किया।

9 इसके खण्ड़न में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस यह कथन किया कि प्रकरण में अभियुक्त द्वारा परिवादी को विवादित चैक हस्ताक्षरशुदा 2011 में सिक्योरिटी पेटे खाली दिया गया था। जब अभियुक्त ने 2011 में परिवादी के साथ व्यापार प्रारम्भ किया था तब परिवादी एवं अभियुक्त की फर्म के मध्य यह तय हुआ था कि परिवादी जो माल अभियुक्त को बेचेगा उस पर अभियुक्त को 8 प्लस 4 प्रतिशत डिस्काउंट देगा। परिवादी का कुछ माल खराब था जो परिवादी ने वापस लेने से इन्कार कर दिया और परिवादी ने अभियुक्त का चार प्रतिशत डिस्काउंट भी कम नहीं किया। अभियुक्त का डिस्काउंट कम करने के पश्चात अभियुक्त के परिवादी की तरफ कोई बैलेंस बकाया नहीं है। परिवादी ने अभियुक्त के सिक्योरिटी पेटे दिये गये खाली चैक का दुरुपयोग किया है। परिवादी ने अपने परिवाद, शपथ पत्र एवं नोटिस में कहीं यह अंकित नहीं किया है कि अभियुक्त को किस बिल के मार्फत कितना कितना माल कितनी राशि का किस दिनांक को बेचा गया था और ना ही परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में 600437 रुपये का माल अभियुक्त को बेचे जाने बाबत कोई बिल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अभियुक्त निर्दोष है। अंत में निवेदन किया कि अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषमुक्त किया जावे।

10 उक्त विचारणीय बिन्दु की रोशनी में पत्रावली का अवलोकन किया जावे, तो उभय पक्षों की ओर से प्रदर्श पी–1 चैक अभियुक्त के बैंक खाते का होने, प्रदर्श पी– 1 चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने, प्रदर्श पी–1 चैक वैधता अवधि के दौरान समाशोधन हेतु प्रस्तुत करने, प्रदर्श पी–1 चैक Funds Insufficient के रिमार्क के साथ अनादरित होने के तथ्यों के संबंध में विवाद नहीं किया गया है। अतः इन तथ्यों की हद तक उभय पक्षों की ओर से दिये गये प्रस्तुत साक्ष्य का उल्लेख व विवेचन सुसंगत नहीं है।

11 विचारणीय प्रश्न के संबंध में न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम यह अवधारित किया जाना है कि –

(A) क्या परिवादी के पक्ष में प्राकम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा का सृजन हुआ है?

12 इस प्रश्न के संबंध में विद्वान अधिवक्ता परिवादी का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त द्वारा दौराने विचारण मूल चैक प्रदर्श पी–1 पर उसके हस्ताक्षर विवादित नहीं है तथा यह स्वीकृत तथ्य है कि मूल चैक प्रदर्श पी–1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। ऐसे में जहां चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर निर्विवाद है वहां अभियुक्त के विरूद्ध धारा 139 एनआई एक्ट की उपधारणा का सृजन हो जाता है जिसका खंडन करने का भार अभियुक्त पर होता है।

13 विद्वान अधिवक्ता परिवादी के उपर्युक्त तर्क के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त – ***Aps forex services pvt. ltd. V/s Shakti International fashion, 202 SCC Online SC 193*** में यह प्रतिपादित किया है कि –

> ***"section 139 of the Act is an example of reverse onus clause and therefore once the issuance of the cheque has been admitted and even the signature on the cheque has been admitted there is always a presumption in favour of the complainant that there exists a legally enforceable debt or liability and thereafter it is for the accused to rebut such presumption by leading evidence."***

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम न्यायिक दृष्टान्त ***Triyambak S. Hegde vs Sripad criminal appeal Nos. 849850 of 2011*** दिनांकित **23.9.2021** में भी प्रतिपादित किया है कि –

> **"It is clear that the respondent has not disputed the signature on the cheque. If that be the position, as noted by the courts below a presumption would arise under section 139 in favour of the appellant who was the holder of the cheque."**

14 उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों को इस प्रकरण के तथ्य पर चस्पा करने पर न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अभियुक्त सुशील टिबड़ेवाल जो कि न्यायालय में बतौर डी.डब्ल्यू–1 द्वारा जिरह के दौरान परिवादी पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया गया है कि विवादित चैक पर उसके हस्ताक्षर हैं, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध

धारा 118(a), 139, परक्राम्य लिखत अधिनियम, की उपधारणा का सृजन हो जाता है।

15 विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का एक तर्क यह भी रहा है कि अभियुक्त को विधिक डिमाण्ड नोटिस प्रदर्श पी– 3 प्राप्त नहीं हुआ है। इसके खण्डन में विद्वान अधिवक्ता परिवादी का यह तर्क रहा कि विधिक डिमाण्ड नोटिस अभियुक्त के सही पते पर प्रस्तुत किया गया था जिस वजह से अभियुक्त के विरुद्ध यह उपधारणा ली जा सकती है कि विधिक डिमाण्ड नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया था।

16 उभय पक्ष के उपर्युक्त तर्कों के संदर्भ में पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने पर न्यायालय को यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी द्वारा चैक प्रदर्श प्रदर्श पी– 1 को अपनी बैंक में वैधता अवधि में समाशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया जो Funds Insufficient के अंकन के साथ अभियुक्त की बैंक द्वारा अनादरित किये गये। जिसके पश्चात् परिवादी द्वारा 30 दिवस की अवधि में अपने अधिवक्ता के मार्फत् प्रदर्श पी–3 विधिक नोटिस प्रश्नगत चैक के अनादरित होने व चैक की राशि के भुगतान की मांग करने का अभियुक्त के ज्ञात पते (एस.69, शांति नगर नियर ए.बी.सी. फैक्ट्री, नियर लेबर कोर्ट, खातीपुरा रोड, जयपुर) पर दिनांक 03.01.2018 को प्रेषित किया गया। जिसकी पुष्टि नोटिस रजिस्ट्री रसीद प्रदर्श प्रदर्श पी–4 व 5 से होती है। अभियुक्त डी.डब्ल्यू–1 सुशील टिबडेवाल द्वारा स्वयं द्वारा अपनी जिरह के दौरान अपना पता एस.69, शांति नगर , नियर लेबर कोर्ट, खातीपुरा रोड, जयपुर बताया गया है, साथ ही में डी.डब्ल्यू–1 ने जिरह के दौरान परिवादी पक्ष के इस सुझाव को सही बताया गया है कि चैक रिटर्न करवाकर दिया गया नोटिस उसे प्राप्त हो गया था।

17 इस प्रकार यह न्यायालय यह पाता है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के सही पते पर विधिक नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाया गया था जो कि अभियुक्त को प्राप्त हो गया था।

18 इस प्रकार उपर्युक्त विचार–विमर्श के अनुसार ये न्यायालय पाता है कि अभियुक्त द्वारा विधिक नोटिस प्राप्त होने पर भी 15 दिवस के अन्दर परिवादी को चैक की राशि का भुगतान नहीं किया गया। अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक राशि का भुगतान नहीं करने पर परिवादी द्वारा वाद हेतुक उत्पन्न होने पर वैधता अवधि में दिनांक 24.01.2018 को न्यायालय के समक्ष हस्तगत परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। परिणामस्वरूप परिवादी द्वारा धारा 138 एनआई एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पूर्ति पूर्णतः की गई है। चूंकि अभियुक्त डी.डब्ल्यू–1 सुशील कुमार टिबड़ेवाल द्वारा जिरह के दौरान प्रदर्श पी–1 पर उसके हस्ताक्षर होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है इसलिए ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 118(a), 139, परक्राम्य लिखत अधिनियम, की उपधारणा का सृजन हो

जाता है।

अब न्यायालय को यह देखना है कि –

(B) क्या अभियुक्त द्वारा धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा का खण्डन किया गया है?

19 एक बार जब परिवादी के पक्ष में धारा 118 ए एवं धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा न्यायालय द्वारा ले ली जाती है, तब यह साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है कि विवादित चैक अभियुक्त द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन पेटे परिवादी के पक्ष में जारी नहीं किये गये थे, ऐसा अभियुक्त या तो स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित कर सकता है या वह परिवादी को जिरह के दौरान खण्डित करके परिवादी के पक्ष में ली गई उपधारणों का खण्डन कर सकता है।

20 यह स्थापित विधिक स्थिति है कि– यद्यपि संभावना की प्रधानता के आधार पर उक्त उपधारणा को खंडित किया जा सकता है परन्तु अभियुक्त को सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिरक्षा पेश करनी होगी, केवल कथन मात्र से उक्त उपधारणा खंडित नहीं मानी जा सकती। परिवादी के पक्ष में ली गई उपधारणों का खण्डन करने के लिए अभयुक्त को ऐसे तथ्य साबित करने होंगे, जो प्रतिफल के अस्तित्व को संदिग्ध या अवैध बना दे।

21 धारा 139 की उपधारणा को खण्ड़ित करने के लिये अभियुक्त के पास दो साधन हैं। पहला परिवादी से जिरह या परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में संदेह उत्पन्न करना तथा दूसरा स्वयं की ओर से साक्ष्य सफाई पेश करके।

22 इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय ***रंगप्पा बनाम श्री मोहन (2010) 2011 एससीसी 441*** में यह निर्धारित किया गया है कि धारा 139 एनआई एक्ट की उपधारणा एक खण्ड़नीय है तथा इस उपधारणा को खण्ड़ित करने का भार अभियुक्त पर होता है। इस उपधारणा को खंडित करने से पूर्व परिवादी को सर्वप्रथम अपना मामला संदेह से परे साबित कर यह दर्शाना है कि उसके द्वारा दी गई रकम के बाबत् जारी किया गया चैक किसी विधिक दायित्व की अदायगी के पेटे ही दिया गया है। इसी संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णय ***Basalingappa Vs Mudibassapa (2019)****शाखा एन.ई.आई, खातीपुरा रोड, जयपुर* ***5SCC 418*** में यह मार्गदर्शन प्रदान किये गये हैं कि अभियुक्त धारा 139 एनआई एक्ट की उपधारणा का खण्डन परिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में संदेह उत्पन्न करके भी कर सकता है। उसे स्वयं को बतौर साक्षी के रूप में परीक्षित करवाने की आवश्यकता नहीं है। धारा 139 एनआई एक्ट की उपधारणा का खंडन केवल संभावनाओं की प्रधानता

के आधार पर हो सकता है।

23 परिवादी के पक्ष में ली गई उपधारणाओं को विस्थापित करने के प्रयास में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह तर्क उठाया गया है कि परिवादी ने अपने परिवाद, शपथ पत्र व नोटिस में यह अंकित नहीं किया है कि परिवादी फर्म द्वारा कितना कितना माल किस दिनांक को किस बिल के जरिए अभियुक्त को बेचा गया था और ना ही परिवादी ने अभियुक्त को बेचे गये तथाकथित 600437/- रुपये के माल के संदर्भ में कोई बिल साक्ष्य में प्रस्तुत किया है।

24 विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से उठाए गए उपर्युक्त तर्क के संदर्भ में पत्रावली पर मौजूद उभय पक्ष की साक्ष्य के तुलनात्मक अवलोकन से न्यायालय को प्रकट होता है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में, शपथ पत्र एवं विधिक डिमाण्ड नोटिस प्रदर्श पी–3 में कहीं यह अंकित नहीं किया गया कि परिवादी फर्म द्वारा कितने रुपये कितना कितना माल, किस दिनांक को किस बिल के जरिए अभियुक्त को बेचा गया था, परन्तु हस्तगत प्रकरण में परिवादी के पक्ष में परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 एवं 118(ए) के तहत उपधारणा ली जा चुकी है कि प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी–1 अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन पेटे जारी किया गया था, इसलिए अब यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि प्रदर्श पी–1 अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन पेटे जारी नहीं किया गया था, प्रदर्श पी–1 चैक में वर्णित राशि का उसके द्वारा परिवादी को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है व प्रदर्श पी–1 का परिवादी द्वारा दुरुपयोग किया गया है। इस संदर्भ में पत्रावली पर मौजूद उभय पक्ष की साक्ष्य का तुलनात्मक विवेचन करने से न्यायालय को यह प्रकट होता है कि अभियुक्त सुशील टिबडेवाल जो न्यायालय में बतौर डी.डब्ल्यू–1 परीक्षित हुआ है, द्वारा दौराने जिरह यह कथन किये गये हैं कि उसका परिवादी कंपनी से फुटवियर का व्यापार 2011 से पांच छह साल चला था। आगे डी.डब्ल्यू 1 सुशील टिबडेवाल द्वारा परिवादी पक्ष के इस सुझाव को भी सही बताया गया है कि बिल के अनुसार उसके पास पूरा माल सही आया था।

25 इस प्रकार अभियुक्त डी.डब्ल्यू 1 सुशील टिबडेवाल द्वारा जिरह के दौरान किए गए उपर्युक्त कथन यह दर्शाते हैं कि अभियुक्त की फर्म सुमित एन्टरप्राईजेज एवं परिवादी फर्म अग्रवाल फुटवियर इण्डस्ट्रीज के मध्य 2011 से 5–6 साल तक व्यापार चल रहा था व अभियुक्त ने परिवादी फर्म से पूरा माल सही प्राप्त किया था। चूंकि अभियुक्त ने स्वयं द्वारा परिवादी फर्म से वर्ष 2011 से 5–6 साल तक व्यापार होना व परिवादी फर्म से पूरा माल प्राप्त करने के तथ्य को स्वीकार किया है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क कि परिवादी ने अपने परिवाद, शपथ पत्र व नोटिस में यह

अंकित नहीं किया है कि परिवादी फर्म द्वारा कितना कितना माल किस दिनांक को किस बिल के जरिए अभियुक्त को बेचा गया था और ना ही परिवादी ने अभियुक्त को बेचे गये तथाकथित 600437/- रुपये के माल के संदर्भ में कोई बिल साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, आधारहीन एवं बलहीन प्रतीत होता है।

26 इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी फर्म से व्यापार शुरू करने के वक्त 2011 में परिवादी फर्म को बतौर सिक्योरिटी पेटे हस्ताक्षरशुदा दो खाली चैक, जिनका नम्बर 100007 व 100008 था जो कि यूको बैंक शाखा, शाखा एन.ई.आई, खातीपुरा रोड, जयपुर के दिए थे। परिवादी फर्म द्वारा अभियुक्त से 8 प्लस 4 प्रतिशत का डिस्काउंट तय किया गया था। परिवादी फर्म द्वारा चार प्रतिशत डिस्काउंट कम नहीं किया और परिवादी फर्म का कुछ माल खराब था जो परिवादी ने लेने से इन्कार कर दिया। अभियुक्त का चार प्रतिशत डिस्काउंट कम करने के बाद अभियुक्त की परिवादी की तरफ कोई देनदारी बाकी नहीं है। परिवादी ने अभियुक्त के सन् 2011 में दिए गए खाली हस्ताक्षरशुदा चैकों का दुरुपयोग किया है जबकि अभियुक्त की परिवादी की तरफ कोई देनदारी बाकी नहीं है।

27 उपुर्यक्त तर्क के संदर्भ में अभिलेख पर मौजूद उभय पक्ष की साक्ष्य का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह प्रकट होता है कि सर्वप्रथम अभियुक्त द्वारा पी–डब्ल्यू–1 प्रवीण कुमार बंका से इस तथ्य पर कि परिवादी फर्म द्वारा अभियुक्त से 8 प्लस 4 प्रतिशत का डिस्काउंट तय किया गया था, कोई जिरह नहीं की गई है और ना अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई के दौरान ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे इस न्यायालय के समक्ष यह प्रकट हो कि परिवादी फर्म एवं अभियुक्त फर्म के मध्य आठ प्लस चार प्रतिशत डिस्काउंट पर व्यापार किया जाना तय किया गया था।

28 इसके अतिरिक्त अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उसकी फर्म के बैंक खाते की स्टेटमेंट प्रदर्श डी–2 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.12.2017 एवं दिनांक 29.01.2018 को परिवादी फर्म को कुल 20,005.9/- रुपये का भुगतान किया गया था। इस न्यायालय की विनम्र राय में यदि परिवादी फर्म की तरफ अभियुक्त की कोई राशि बकाया नहीं होती तो प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी–1 दिनांकित 13.12.2017 के अनादरण के पश्चात अभियुक्त द्वारा उपर्युक्त राशि परिवादी firm को अदा नहीं की जाती।

29 माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी हाल ही में अपने न्यायिक दृष्टान्त ***Sripati Singh (since deceased) Through his son Gaurav Singh Vs The state of Jharkhand &***

Anrs Criminal appeal No. 1269&1270 Of 2021

> ***"A cheque issued as security pursuant to a financial transaction cannot be considered as a worthless piece of paper under every circumstance. 'Security' in its true sense is the state of being safe and the security given for a loan is something given as a pledge of payment. It is given, deposited or pledged to make certain the fulfillment of an obligation to which the parties to the transaction are bound. If in a transaction, a loan is advanced and the borrower agrees to repay the amount in a specified time frame and issues a cheque as security to secure such repayment; if the loan amount is not repaid in any other form before the due date or if there is no other understanding or agreement between the parties to defer the payment of amount, the cheque which is issued as security would mature for presentation and the drawee of the cheque would be entitled to present the same. On such presentation, if the same is dishonoured, the consequences contemplated under section 138 and the other provisions of N.I. Act would flow."***

30 इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विचार विमर्श उपरान्त यदि यह मान भी लिया जाए कि अभियुक्त द्वारा प्रदर्श पी–1 परिवादी फर्म को सिक्योरिटी पेटे एडवांस में वर्ष 2011 में दिया गया था, परन्तु अभियुक्त न्यायालय के समक्ष यह दर्शाने में असफल रहा है कि चैक प्रदर्श पी–1 में दर्शाई गई दिनांक 13.12.2017 को अभियुक्त की परिवादी फर्म की तरफ कोई देनदारी शेष नहीं थी व परिवादी फर्म द्वारा चैक प्रदर्श पी–1 का दुरुपयोग किया गया है।

31 इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विचार विमर्श के आधार पर यह न्यायालय पाता है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अनुसरण में परिवादी के पक्ष में ली गई उपधारणा कि चैक के धारक ने धारा 138 एन.आई. एक्ट में उल्लेखित किसी ऋण या दायित्व का निर्वहन करने के लिये चैक प्राप्त किया था का अभियुक्त ने किसी भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से खण्डन नहीं किया है।

32 अतः अभियुक्त संभावना की प्रधानता के आधार पर परिवादी के पक्ष में की गई उपधारणा को खण्डित करने में असफल रहा है एवं परिवादी यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि

अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिये विवादित चैक 032829 परिवादी को दिया गया था।

33 अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त धारा 139 एनआई एक्ट में विहित उपधारणा का खंडन करने में असफल रहा है जबकि परिवादी आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। परिणावमस्वरूप अभियुक्त को धारा 138 एनआई एक्ट में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: **आदेश** ::

34 अतः **सुशील टिबडेवाल पुत्र श्री सीताराम टिबडेवाल, प्रोपराईटर मैसर्स सुमित एन्टरप्राईजेज, पता एस–69, शांति नगर, नियर एन. बी. सी. फैक्ट्री, नियर लेबर कोर्ट, खातीपुरा रोड, जयपुर** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(तेजकिरन कौर चावला)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट
एन आई एक्ट प्रकरण, क्रम–05
जयपुर महानगर, द्वितीय

:: **सजा के प्रश्न पर** ::

35 अभियुक्त को दण्ड के बिन्दु पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है। प्रकरण सन् 2018 से लंबित है। अभियुक्त द्वारा प्रदर्श पी–1 पेटे परिवादी को प्रदर्श पी–1 के अनादरण होने के पश्चात 20,005.9/- रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अभियुक्त के मन में कोई बेईमानी नहीं है। अतः नरमी का रुख अपनाते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। जिसका विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने यह निवेदन किया कि इस प्रकरण में अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध एक सोच समझकर कारित किया गया अपराध है। लिहाजा ऐसे प्रकरणों में यदि अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया तो इससे इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि होगी। अतः अभियुक्त को कठोर दण्ड दिया जावे।

36 उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। यह सही है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से यह अपराध अभियुक्त का प्रथम अपराध होना जाहिर होता है एवं साथ ही में अभियुक्त द्वारा विवादित

चैक प्रदर्श पी–1 के अनादरण के पश्चात दिनांक 27.12.2017 को 10,002.95/– रुपये व दिनांक 29.01.2018 को 10,002.95/– रुपये की राशि जरिए चैक परिवादी फर्म को अदा की गयी है जिसकी पुष्टि प्रदर्श डी–2 अभियुक्त के फर्म के बैंक स्टेटमेन्ट से होती है। इसलिए उपर्युक्त राशि को चैक प्रदर्श पी–1 में वर्णित कुल राशि में से घटाया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है, परन्तु न्यायालय का यह भी मत है कि इस प्रकार के चेक अनादरण के मामले में न्यायालय द्वारा नरमी का रूख अपनाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के मामलों से तीव्र गति से वृद्धि होगी तथा वर्तमान में अर्थजगत में अधिकांश लेन देन चेकों के माध्यम से हो रहे है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों व इस प्रकार के मामलों की तीव्र गति से वृद्धि को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अभियुक्त द्व ारा कारित अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे आरोपित अपराध से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

द ण्डा दे श

37 अतः अभियुक्त **सुशील टिबडेवाल पुत्र श्री सीताराम टिबडेवाल, प्रोपराईटर मैसर्स सुमित एन्टरप्राईजेज, पता एस–69, शांति नगर, नियर एन. बी. सी. फैक्ट्री, नियर लेबर कोर्ट, खातीपुरा रोड, जयपुर** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर उसे उक्त अपराध में **6 माह (छः माह)** के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है इसके अतिरिक्त चूंकि अभियुक्त द्व ारा चैक प्रदर्श पी–1 पेटे परिवादी को 20,005.9/- रुपये की राशि अदा की जा चुकी है, इसलिए चैक में वर्णित राशि 600437/– रुपये में से 20,005.9/- रुपये की राशि को घ टाकर 5,80,427.5/– रुपये पर डेढ़ गुना के हिसाब से परिवादी को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में दिलवाया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है, इसलिए अभियुक्त को यह आदेश भी दिया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (3) के तहत परिवादी को 8,70,461.25**/–रूपये (आठ लाख सत्तर हजार चार सौ इक्सठ पॉईन्ट पच्चीस)** राशि क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी को अदा करेगा। अदम अदायगी प्रतिकर राशि अभियुक्त एक माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा। प्रतिकर की उक्त राशि अभियुक्त से जुर्माने के रूप में वसूलनीय होगी।

38 अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में न्यायिक तथा पुलिस अभिरक्षा में अवधि जो व्यतीत की गयी है, उसको धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कारावासीय सजा में समायोजित किया जावे।

39 अभियुक्त जमानत पर है उसके जमानत मुचलके न्यायालय में नियमित तारीख पेशी पर उपस्थिति के निरस्त किये जाते हैं।

40 अभियुक्त का सजा वारण्ट पृथक् से नियमानुसार बनाया जावे और अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क जारी होवें। निर्णय की एक प्रति अविलम्ब ई–कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जाये।

(तेजकिरन कौर चावला)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट
एन आई एक्ट प्रकरण, क्रम–05
जयपुर महानगर, द्वितीय

41 निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(तेजकिरन कौर चावला)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट
एन आई एक्ट प्रकरण, क्रम–05
जयपुर महानगर, द्वितीय